भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1994
दिनांक 06 अगस्त, 2025/ 15 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानूनों में विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा

1994# श्रीमती संगीता यादवः
श्री नीरज शेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नये आपराधिक कानूनों के अंतर्गत विभिन्न चरणों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में दंड के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): नए आपराधिक कानूनों के तहत विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): पहली बार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। इससे, अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक संबंध बनाने का अवसर मिलता है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1994, दिनांक 06.08.2025

अनुलग्नक

नए आपराधिक कानूनों के तहत विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्योरा

i. त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और दोषी को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित किया गया है और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

ii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

iii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय प्रदायगी सुनिश्चित हो।
